न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 09.12.2023

राजस्व वाद संख्या : 73/2023

निर्णय दिनांक : 09.12.2023

जीसीएमएस संख्या – 2023/139 दायर दिनांक – 16.08.2023

श्री स्वरूपाराम पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी ग्राम मून्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान।

................वादी

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

.................प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–

1. श्री महेश शर्मा एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मून्दड़ा तहसील सुजानगढ़ के खेत खसरा संख्या 367 रकबा 0.1643 हैक्टेयर, खसरा संख्या 412 रकबा 7.1064 हैक्टेयर, खसरा संख्या 413 रकबा 10.1034 हैक्टेयर व खसरा संख्या 438 रकबा 2.1496 हैक्टेयर का संयुक्त व अविभाजित खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज स्थित है जिसमें वादी का 1/35 हिस्सा कब्जा, अधिकार, उपयोग व उपभोग का है।

वादी के पिता चूनाराम का स्वर्गवास होने के बाद उपरोक्त भूमि का नामान्तरकरण दर्ज हुआ जिसमें वादी का घर का बोलता नाम रूपाराम लिख दिया गया जबकि वादी के दस्तावेजात में नाम स्वरूपाराम है जो सही व सत्य है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को सरकारी मुआवजा लेने हेतु अपने वकील से कागजात तैयार करवाये तो उक्त गलत नाम का ज्ञान हुआ। वादी को आवश्यकता है कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवावे। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:11:53 IST
Reason: SelfAttested

09.12.23

अध्यक्ष लोक अदालत सुजानगढ़

सदस्य लोक अदालत सुजानगढ़

सदस्य लोक अदालत सुजानगढ़

वादगत खेत रोही ग्राम मून्दड़ा के खाता संख्या 232 खसरा संख्या 367 रकबा 0.1643 हैक्टेयर, खसरा संख्या 412 रकबा 7.1064 हैक्टेयर, खसरा संख्या 413 रकबा 10.1034 हैक्टेयर व खसरा संख्या 438 रकबा 2.1496 हैक्टेयर में वादी का नाम रूपाराम पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़ा दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम स्वरूपाराम पुत्र चूनाराम है। रूपाराम व स्वरूपाराम दोनों एक ही व्यक्ति हैं अलग–अलग नहीं है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड रूपाराम पुत्र चूनाराम के स्थान पर स्वरूपाराम पुत्र चूनाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक की फोटोप्रति., जन आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रतिलिपि आदि में भी वादी का नाम स्वरूपाराम पुत्र चूनाराम ही अंकित है तथा ग्राम पंचायत मून्दड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 13.06.2023 में भी वादी का नाम रूपाराम पुत्र चूनाराम के स्थान पर स्वरूपाराम पुत्र चूनाराम ही सत्य होना अंकित किया है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खाता संख्या 232 खसरा संख्या 367 रकबा 0.1643 हैक्टेयर, खसरा संख्या 412 रकबा 7.1064 हैक्टेयर, खसरा संख्या 413 रकबा 10.1034 हैक्टेयर व खसरा संख्या 438 रकबा 2.1496 हैक्टेयर रोही ग्राम मुन्दड़ा में दर्ज रूपाराम पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़ा खातेदार के स्थान पर स्वरूपाराम पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी मुन्दड़ा खातेदार खातेदार दर्ज किया जावे। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2023 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:11:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़